

## प्रारूप- 2

प्रदेश के अन्दर आलू ले जाये जाने के सम्बन्ध में सहायता प्राप्त किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र।  
सेवा में, (कृषक उत्पादक/ व्यापारी द्वारा भरा जाने वाला प्रार्थना पत्र)

सचिव,  
कृषि उत्पादन मण्डी समिति,

महोदय,

मैं— निवासी— जिला— मण्डी समिति— के क्षेत्र का हूँ तथा आलू का उत्पादक हूँ / मैं— फर्म का नाम— मण्डी समिति— का लाइसेन्स धारक हूँ जिसका पंजीकरण संख्या— है। इस सम्बन्ध में मेरे द्वारा मण्डी समिति— से गेटपास संख्या— दिनांक— प्राप्त किया गया था। प्रदेश के विभिन्न शहरों एवं प्रदेश के बाहर ले जाये गये आलू की मात्रा एवं गन्तव्य स्थानों का विवरण निम्नवत है:-

- 1- आलू की किस्म
- 2- आलू की मात्रा
- 3- स्थान / मण्डी का नाम, जहाँ से आलू ले जाया गया है।
- 4- भाड़े के रूप में भुगतान की गयी धनराशि।

आलू प्रदेश के अन्दर ले जाये जाने के सम्बन्ध में निम्न अभिलेखों की प्रमाणित छाया प्रतियाँ संलग्न की जा रही है:-

- 1- आलू व्यापारी द्वारा प्रेषित किये गये आलू के सापेक्ष्य जारी गेटपास, प्रपत्र-6, प्रपत्र-9
- 2- आलू उत्पादक द्वारा प्रपत्र-6 व प्रपत्र-9 के स्थान पर किसान बही/खसरा की नकल, परिवहन भाड़ा रसीद जिसमें आलू जिन्स का उल्लेख हो, प्रस्तुत करना होगा।
- 3- आलू कय का श्रोत के सत्यापन हेतु मण्डी समिति द्वारा निर्गत प्रपत्र संख्या-6 व 9 की प्रमाणित प्रति।
- 4- गन्तव्य मण्डी में पहुँचने का प्रमाण-पत्र यथा- प्रवेश पर्ची, 6आर या सम्बन्धित प्रदेश में होने वाली आवक के सम्बन्ध में प्रचलित प्रपत्र/गन्तव्य मण्डी में प्राप्तकर्ता फर्म का बीजक अथवा अन्य सुसंगत अभिलेख।
- 5- परिवहन भाड़ा की रसीद जिसमें वास्तविक परिवहन का व्यय दर्शाया गया हो (जिसमें मण्डी शुल्क, टोल टैक्स आदि सम्मिलित न होगा)
- 6- गन्तव्य स्थान हेतु परिवहन साक्ष्य यथा ट्रान्सपोर्ट बिल्टी अथवा रेल परिवहन रसीद।
- 7- कृषक/व्यापारी द्वारा प्रेषित कन्साइन्मेन्ट के गन्तव्य स्थान पर विक्रय का बिक्री प्रपत्र।
- 8- कन्साइन्मेन्ट के सापेक्ष्य प्राप्त भुगतान सम्बन्धी साक्ष्य-यथा डिमाण्ड ड्राफ्ट, चेक या आन लाइन का बैंक द्वारा प्रदत्त सर्टीफिकेट।
- 9- अन्य सुसंगत साक्ष्य।

कृपया मुझे प्रदेश के अन्दर आलू ले जाये जाने के सम्बन्ध में सहायता धनराशि दिलाने का कष्ट करें।  
संलग्नकों की संख्या-

हस्ताक्षर  
फर्म/प्रतिनिध